यूपीएससी परीक्षा में मध्यप्रदेश के युवाओं को मिली सफलता

प्रदेश के कई जिलों के अभ्यर्थियों ने हासिल की बड़ी रैंक

ईशान भटनागर

देवांगी मीणा

दीक्षा पाटकर

पक्षल जैन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम अनुसार भोपाल के ईशान भटनागर ने ऑल इंडिया रैंक पांच हासिल की है। वे वर्तमान में नागपुर में भारतीय राजस्व सेवा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके पिता मध्यप्रदेश सरकार में मुख्य सलाहकार रह चुके हैं और अब सेवानिवृत्त हैं, जबकि उनकी माता अंग्रेजी की प्राध्यापक हैं। धार जिले के बाग कस्बे के पक्षल जैन ने आठवीं रैंक हासिल की है। उनके पिता कपड़ा व्यवसायी हैं और माता गृहिणी हैं। उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अशोकनगर के चितवन जैन ने 17वीं रैंक प्राप्त की। उन्होंने अपनी तीसरी कोशिश में यह सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान मानसिक दबाव नहीं लिया और नियमित रूप से तैयारी की। उन्होंने दिल्ली से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी।

मऊगंज की समीक्षा द्विवेदी ने 56वीं रैंक प्राप्त कर टॉप-100 में स्थान बनाया। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की। खंडवा की रूपल जायसवाल ने 43वीं रैंक प्राप्त की। उन्होंने पिछले प्रयास में 512वीं रैंक प्राप्त करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और दोबारा तैयारी कर इस बार बड़ी सफलता हासिल की।

नरसिंहपुर की दीक्षा पाटकर ने 88वीं रैंक हासिल की। ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने 160वीं रैंक प्राप्त की। यह उनका पांचवां प्रयास था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है।

गुना की देवांगी मीणा ने 236वीं रैंक प्राप्त की। उन्होंने पिछले वर्ष 764वीं रैंक प्राप्त की थी। नरसिंहपुर की पूजा सोनी ने 249वीं रैंक प्राप्त की। सतना की भूमिका जैन ने 331वीं रैंक हासिल कर भारतीय राजस्व सेवा के लिए चयन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह सफलता अन्य युवाओं को भी प्रेरणा देगी।

एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब पर नौ को पोस्ट बजट वेबिनार

15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब स्थापना की योजना

प्रधानमंत्री करेंगे एवीजीसी लैब अवधारणा पर संबोधन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 9 मार्च 2026 को 'ऑरेंज इकोनॉमी के लिए एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब' विषय पर राष्ट्रीय स्तर का पोस्ट बजट वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इस वेबिनार का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा देश के 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है।

वेबिनार में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र में सूचना एवं प्रसारण, उच्च शिक्षा, नीति आयोग, उद्योग एवं अन्य विभागों के सचिव भी संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम में एवीजीसी क्षेत्र में रोजगार, उद्यमिता और तकनीकी कौशल विकास पर विशेष चर्चा की जाएगी। ब्रेकआउट सत्रों में उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि अपने विचार साझा करेंगे। इसमें एनीमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स और एक्सआर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में करियर संभावनाओं पर भी जानकारी दी जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य देश में रचनात्मक उद्योगों को मजबूत करना और युवाओं को भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों और संबंधित विभागों से वेबिनार में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

तिरंगा अपमान मामले में मंत्री उदय प्रताप सिंह को नोटिस

विशेष न्यायालय ने 7 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, जबलपुरः मध्यप्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के मामले में जबलपुर की विशेष अदालत ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

यह मामला 2024 में आयोजित तिरंगा यात्रा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यात्रा के दौरान मंत्री ने खुली जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया था, जिससे ध्वज नीचे झुक गया और जीप पर खड़े एक व्यक्ति के पैर से भी स्पर्श कर रहा था। इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना गया है।

विशेष न्यायालय (सांसद और विधायक मामलों की अदालत) के न्यायाधीश डी पी सूत्रकार ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री को 7 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी पूछा है कि इस मामले में मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश क्यों न दिया जाए। यह परिवाद नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी कौशल सिलावट द्वारा दायर किया गया है। परिवाद में कहा गया है कि 11 अगस्त 2024 को गाडरवारा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कर रहे थे। आरोप है कि मंत्री खुली जीप में बैठकर जनता को संबोधित कर रहे थे और राष्ट्रीय ध्वज को जीप के बोनट पर इस तरह रखा गया था कि वह झुक गया था और वाहन पर खड़े कार्यकर्ता के पैर से स्पर्श कर रहा था। परिवाद में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का उल्लंघन है। इस अधिनियम के अनुसार वाहन के बोनट, छत या अन्य भागों पर राष्ट्रीय ध्वज को इस प्रकार रखना या ढकना कानूनन अपराध माना जाता है। इस अपराध के लिए तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाना गाडरवारा और नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि पुलिस ने मंत्री के पद का हवाला देकर प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया। परिवाद में सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों, फोटो, मीडिया रिपोर्ट और शिकायत दस्तावेजों के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई आगे बढ़ाई है।

केरवा डैम क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः केरवा डैम के कैचमेंट क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनी के गेट, बाउंड्रीवॉल और सड़क निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार केरवा डैम के आसपास के क्षेत्र में बिना अनुमति जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच की गई और फिर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए जेसीबी का उपयोग किया। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि डैम के कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति जमीन पर कॉलोनी विकसित करना नियमों का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि करीब दस एकड़ जमीन पर स्टर्लिंग वुड नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इससे पहले भी जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अब प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका कहना है कि डैम के आसपास अवैध निर्माण से पर्यावरण और जल स्रोतों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

किशोरी ने पेड़ पर फंदा लगाकर दी जान

नप्र, भोपालः राजधानी के रातीबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी झागरिया में शुक्रवार सुबह एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी का शव घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में नीम के पेड़ पर लटका मिला। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान खुशी पारदी (16) पुत्री बादल सिंह, निवासी ग्राम छोटी झागरिया के रूप में हुई है। वह आठवीं कक्षा तक पढ़ी थी और वर्तमान में घर पर ही रहती थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह खुशी घर से बिना बताए निकल गई थी। कुछ समय बाद गांव के पास स्थित खेत में नीम के पेड़ पर उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

युवक का अपहरण कर मारपीट

पुरानी रंजिश में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कोलार थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। गार्मेंट्स दुकान में सेल्समैन का काम करने वाले दिनेश अहिरवार को बदमाशों ने कार में जबरन बैठाकर सुनसान इलाके में ले जाकर दो घंटे तक पीटा। गंभीर हालत में आरोपियों ने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय दिनेश अहिरवार को बांसखेड़ी पुलिया के पास कुछ युवकों ने रोका। आरोपियों ने दिनेश से कहा कि वह विशु शर्मा के साथ क्यों घूमता है। पुरानी रंजिश के कारण उसे धमकाया गया और जबरन कार में बैठाया गया। आरोपियों ने उसे सोम्या ग्रीन सिटी कॉलोनी के पास सुनसान जगह पर ले जाकर डंडे, बेल्ट और लात-घूसों से बुरी तरह पीटा। मारपीट के कारण वह बेहोश हो गया।

पीड़ित युवक के हाथ की दो उंगलियों में फ्रैक्चर हुआ है और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। आरोपियों ने उसके मोबाइल से परिजनों को फोन कर दुर्घटना होने की सूचना दी और अस्पताल आने को कहा। पीड़ित की बहन शिवानी अहिरवार अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंची, जहां युवक का इलाज चल रहा था। कोलार थाना प्रभारी ने बताया कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

सड़क हादसे में युवक की मौत

भोपाल के छोला क्षेत्र के नवजीवन कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय बंटी कुशवाह की ललितपुर में कार पलटने से मौत हो गई। बंटी अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने ललितपुर गया था। लौटते समय चंदेरी-ललितपुर सीमा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बंटी और उसके दो दोस्त घायल हो गए। बंटी को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। बंटी एक कपड़े की दुकान में काम करता था और उसकी शादी दो महीने बाद होने वाली थी। भोपाल पुलिस ने मामले में जीरो पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

युवा वकीलों के लिए स्टायपेंड की मांग पहुंची हाईकोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः इंदौर में युवा अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक स्टायपेंड लागू करने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका यंग एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव मानवर्धन सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत की गई है।

इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष राकेश सिंह भदौरिया न्यायालय में पैरवी करेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी इस विषय को राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें प्रदेश के हजारों युवा अधिवक्ताओं ने समर्थन दिया था। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है, जिसके कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिका में मांग की गई है कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए एक न्यूनतम मासिक स्टायपेंड योजना तैयार कर उसे लागू किया जाए। इसके साथ ही योजना बनाते समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों को भी ध्यान में रखा जाए। याचिका में शहरी क्षेत्रों में 20 हजार रुपए प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 हजार रुपए प्रति माह स्टायपेंड देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिवक्ता पेशे के शुरुआती वर्षों में युवा वकीलों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें अपने पेशे को जारी रखने में भी परेशानी होती है। यदि यह योजना लागू होती है तो युवा वकीलों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और न्याय व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश भर में लगभग 35 हजार से अधिक युवा अधिवक्ता कार्यरत हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। याचिका में योजना के क्रियान्वयन के लिए पात्रता नियम, सत्यापन व्यवस्था और बजट प्रावधान तय करने की भी मांग की गई है।

आईटी पार्क में 200 कर्मचारियों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः संत हिरदाराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आईटी पार्क में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया।

सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय की टीम ने अपनी सेवाएं दीं। कैंप में आईटी पार्क में चल रहीं कंपनियों के 200 कर्मचारियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कैंप में आंखों की जांच ब्लड शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच की गई।

जाँच के साथ-साथ डॉक्टरों ने कर्मचारियों को बेहतर जीवनशैली और स्वस्थ रहने के तरीके भी बताए। यह मेडिकल कैंप संस्थान के सी.एस.आर क्लब के बैनर तले आयोजित किया गया था। शिविर में सेवाएं देने के लिए संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर हीरो ज्ञानचंदानी, ग्रुप एडवाइजर पी.एस. राठौर और डायरेक्टर डॉ. आशीष ठाकुर ने सी.एस.आर. क्लब की सराहना की।

जस्टिस धर्माधिकारी बनेंगे मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, जबलपुरः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय तक कार्यरत रहे न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अन्य राज्यों में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले 17वें न्यायिक अधिकारी बन गए हैं। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी का जन्म 8 जुलाई 1966 को रायपुर में हुआ था। उन्होंने 1992 में अपना विधिक करियर शुरू किया और लगभग 24 वर्ष तक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वकालत की। इस दौरान उन्होंने सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में महत्वपूर्ण पैरवी की। उन्होंने 2000 से 2015 तक केंद्र सरकार के लिए स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2016 में उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 2018 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई। इसके बाद अप्रैल 2025 में उन्हें केरल हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत उनके स्थानांतरण को मंजूरी दी थी।

मद्रास हाईकोर्ट में पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने केरल हाईकोर्ट में भी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की।

नगर निगम भवन में हादसे की जांच तेज

परिसर में आवाजाही पर रोक, प्रशासन पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल के लिंक रोड नंबर-2 स्थित तुलसी नगर में नगर निगम की निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। गुरुवार को यह हादसा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कर रही है। घटना के बाद भवन परिसर में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

बताया जा रहा है कि बुजुर्ग विक्रम हाउसिंग फॉर ऑल शाखा में जानकारी लेने गए थे। उसी दौरान वे ओपन एरिया से नीचे गिर गए। जिस स्थान से वे गिरे, वहां बाउंड्री और रेलिंग का काम अधूरा बताया जा रहा है। घायल बुजुर्ग को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भवन के निर्माण में इंजीनियरिंग की लापरवाही हुई है। उन्होंने कहा कि पहले ही सुरक्षा उपाय पूरे नहीं किए गए थे। भवन में बैठक कक्ष का निर्माण भी पूरा नहीं था और सीढ़ियों की सुरक्षा व्यवस्था भी अधूरी थी। हादसे के बाद निगम प्रशासन ने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी। मुख्य गेट पर ताला लगाकर कर्मचारियों को तैनात किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि ऊपर से आदेश मिलने के बाद ही ऐसा किया गया है।

नगर निगम की नई बिल्डिंग का अभी आधिकारिक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ विभाग पहले ही यहां शिफ्ट कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर सुरक्षा रेलिंग और अन्य कार्य पूरे कर दिए जाते, तो यह हादसा टाला जा सकता था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

लाइनमैन दिवस पर एमपी ट्रांसको का सम्मान समारोह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 7 मार्च को प्रदेश भर में लाइनमैन दिवस मनाएगी। इस अवसर पर विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाइनमैनों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राज्य के 42 ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस मुख्यालयों में यह आयोजन होगा, जिसमें फील्ड कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम जबलपुर स्थित एमपी ट्रांसको मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रबंध संचालक सुनील तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान लाइनमैनों के योगदान की सराहना की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य मुख्यालयों में भी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सम्मान समारोह होंगे। इस दौरान जबलपुर मुख्यालय से नियुक्त मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी संबंधित टीएलएम मुख्यालयों में पहुंचकर लाइनमैनों का सम्मान करेंगे। अधिकारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लाइनमैनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान प्रबंध संचालक का संदेश भी पढ़ा जाएगा, जिसमें विद्युत कर्मियों के कार्य की सराहना और उनके समर्पण की प्रशंसा की जाएगी। साथ ही, विद्युत कार्यों के दौरान सुरक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई जाएगी।

एमपी ट्रांसको का मानना है कि लाइनमैन कठिन परिस्थितियों में काम करके प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखते हैं। इसलिए उनके सम्मान और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डीडी प्ले स्कूल में प्रदर्शनी और कविता प्रतियोगिता

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः नवयुवक सभा के डी. डी. प्ले स्कूल में 'कला प्रदर्शनी' एवं 'हिंदी कविता प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे विद्यार्थियों ने अपनी कला और अभिव्यक्ति की प्रस्तुति की।

कला प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों ने मॉडल और प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में रचनात्मक सोच का विकास होता है, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रतियोगिता के समापन पर निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर वासदेव वाधवानी अध्यक्ष, नवयुवक सभा प्रबंध समिति, सुरेश राजपाल सचिव, धर्म प्रकाश मोटवानी व पुरूषोतम टिलवानी शिक्षा समिति, ज्योति चौहान प्राचार्य और हेमलता संगतानी विद्यालय इंचार्ज मौजूद रहे।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान
(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)
कार्यालय : सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल- 462003 (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक :+91-755-2770765, 2770538, 2770761
ई-मेल : aiggpa@mp.gov.in, वेबसाइट : www.aiggpa.mp.gov.in
AIGGPA-ADMIN012(50)/2026/E-36471 **भोपाल, दिनांक : 06.03.2026**

द्वितीय निविदा की सूचना

अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में (01 No. Tablet) क्रय किये जाने हेतु **GeM Portal<https://mkp.gem.gov.in/>** पर खुली निविदा Bid Number : GEM/2026/B/7324843 के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित नियमों/शर्तों के तहत निविदा भरने की कार्यवाही कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना GeM Portal अथवा संस्थान की वेबसाइट **<www.aiggpa.mp.gov.in>** पर उपलब्ध रहेगी। जिसकी **अंतिम दिनांक 16.03.2026 दोपहर 2.30 बजे तक** निर्धारित है।
म.प्र. माध्यम/124778/2026 **मुख्य प्रबंधक (प्रशासन)**

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHOPAL
Sewage Department Municipal Corporation Rest House, Shyamla Hills, Bhopal
NOTICE INVITING ONLINE E-TENDER
Online Tender are inviting on appendix 2.10 from the appropriate firm that registered in Office of the Madhya Pradesh (Centralized PWD Registration Cell) for following work. The tender documents can be obtained online on the website http://mptenders.gov.in as per the Key Dates in the Notice published on the above website.

S. No.	NIT No. /Call No	Tender ID	Details of Work	Tender Value (INR)	Earnest Money (EMD)	Bid Submission END Date
1	2	3	4	5	6	7
1	56/SEW/BMC/ 2025-26	2026_UAD_ 486275_1	PROVIDING AND LAYING OF SEWER LINE AND MANHOLE AT SANJAY NAGAR NEAR BANJARI MAIDAN WARD-80, ZONE-18	16,87,864.00	12,659.00	24.03.2026

T.N.3266/025/026
RAJENDRA KUMAR TRIVEDI
Executive Engineer Municipal Corporation, Bhopal